न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकितय वाद सं0— 125 सन् 2015

रामबाबू महतो...........वादी

बनाम

रामचंद्र सिंह व अन्य.......प्रतिवादीगण

दिनांकः—

06.02.2020

उभय पक्ष अनुपस्थित है, आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.11.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 2 जानकी सिंह हाजिर नहीं हुए थे, सिर्फ प्रतिवादी सं0 1 अपना बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष कर रहे है। वर्तमान वादी में प्रतिवादी की गवाही चल रही है। इसी कम में वादी दिनांक 14.10.2019 को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं0 2 जानकी सिंह बीमारी व इलाज के कम में बाहर रहते हुए दिनांक 10. 110.2018 को अपने वारिसानों को छोड़कर मर गए।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 2 जानकी सिंह के नाम वादपत्र से कलमजद करते हुए उनके वारिसानों का नाम कमशः—

1. रामजी सिंह
2. लक्ष्मण सिंह
3. दिपक सिंह
4. छोटन सिंह
5. उमा देवी
6. प्रेमा देवी सारे वारिसानों के नाम प्रतिस्थापन करने की कृपा की जाए।

वादी की ओर से भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब को माफ करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 21.01.2020 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कहा है कि वादी के आवेदन दिनांक 05.11.2019 पर उचित आदेश पारित किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 2 जानकी सिंह थे, जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, परंतु विलंब को माफ करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब को माफ करने

हेतु आवेदन दाखिल किया गया है, ऐसी परिस्थिति में विलंब को माफ करते हुए न्यायहित में 500/– रूपये खर्चे के साथ वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.11.2019 को स्वीकृत किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से प्रतिवादी सं0 2 जानकी सिंह का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम समय सीमा के भीतर प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 15.02.2020

सब जज

सोनपुर सारण।